न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— मुकेश कुमार कलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 36 / 2017

तारीख दायरा—13.04.2017

तारीख निर्णय—03.10.2017

1. श्री भरतलाल पिता चन्द्रकान्त आमेटा ब्राहमण निवासी पावटिया हमेरपाल तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।
2. श्री गुलाबसिंह पिता नाथुसिंह राजपूत निवासी ढिकोड़ा तहसील गोगुन्दा।

.....वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री शिव शंकर जोशी एड.

प्रतिवादी की ओर से— प्रतिवादी स्वयं

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के स्वत्व आधिपत्य की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम ढिकोडा पटवार क्षेत्र दियाण तहसील गोगुन्दा में स्थित है, जिसके आराजी नम्बर 5714 रकबा 3.5600 है0 है। उक्त आराजी नम्बर पर मुल खातेदार डालुसिंह पिता भुरा परमार व उसके बाप दादाओं से पीढी दर पीढी उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि दिनांक 22.02.2016 को डालुसिंह द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी संख्या एक को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया जिस पर वादी आज भी कब्जे कायम होकर उक्त भूमि का निर्विघ्न उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि को वादी के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 907 दिनांक 21.03.2016

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला,उदयपुर

से नामान्तरित की गई है। उक्त भूमि पर पूर्व कब्जे व सीमा चिन्ह के भीतर विकेता का कब्जा चला आ रहा था और वर्तमान में वादी का शान्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादी पटवार हल्का दियाण के पास अपनी कयशुदा व खातेदारी की भूमि की जमाबन्दी की नकल व नक्शा ट्रेस कि नकल लेने के लिये गया तो पटवार हल्का दियाण से वादी को जानकारी हुई कि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड कि नक्शाशीट में पैमुद ही नही है। प्रार्थी की आराजी संख्या 5714 जिस स्थान पर है उक्त जगह नक्शाशीट में खाली जगह होकर कोई भी आराजी नम्बर अंकित नम्बर अंकित नही है, बल्कि वादी ने उक्त भूमि कय कि उस समय ओर उससे पूर्व ही विकेता डालुसिंह व विकेता के बाप दादाओं के समय से ही उक्त भूमि पर उसी स्थान पर निर्विघ्न रूप से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण जिस अनुसार मौके पर वर्तमान में काबिज है, उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड की नक्शाशीट में तरमीम कराये जाने के आदेश प्रदान करावें। अतः निवेदन किया गया कि मौजा ढिकोडा की आराजी नम्बर 5714 रकबा 3.5600 हैक्टयर को वादीगण के कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर अंकित किये जाने की घोषणात्मक डिकी प्रदान कराई जावें। प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्रदान कराई जावें कि वादी के वर्तमान मौके पर कब्जे काश्त के क्षेत्र जो कि विकेता के बाप दादाओं के वक्त से चला आ रहा है पर प्रतिवादी, वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नही करें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र के तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा ढिकोडा के आराजी नम्बर 5714 रकबा 3.5600 है0 का राजस्व नक्शे में अंकन किया हुआ है। इसका अलग से नक्शे में तरमीम नही किया हुआ है और बिलानाम आराजी नम्बर 6689/5714 का राजस्व रिकार्ड में अंकन है, परन्तु राजस्व नक्शे में तरमीम नही है, न ही नक्शे में अलग से अंकन है। नक्शे में उक्त दोनो आराजियात का अलग–अलग तरमीम नही है, जो पैमाईश के वक्त से ही त्रुटी चली आ रही है। मौके पर नक्शे अनुसार दोनो आराजियात का रकबा शामिल दर्शाया अुआ है एवं यह त्रुटि भू–प्रबन्ध के समय से ही है। प्रस्तुत वाद पत्र एवं जवाब दावें के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई।

<u>तनकी नम्बर 01–</u> आया वादग्रस्त आराजी नम्बर 5714 रकबा 3.5600 है0 भूमि के वादीगण खातेदार होकर पूर्व कब्जे व सीमा चिन्ह के भीतर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

.....भा.स. वादी

उप खण्ड अधिकारी
मोगुन्दा जिला,उदयपुर

तनकी नम्बर 02– आया वादग्रस्त भूमि वर्तमान नक्शाशीट में पैमुद नही है, जबकि वादीगण का उक्त भूमि में जहां कब्जा चला आ रहा है, उसे नक्शाशीट में तरमीम कराने के अधिकारी है। .....भा.स. वादी

तनकी नम्बर 03– अनुतोष

कायमी तनकियात पर वादी की साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 श्री भरतलाल पिता चन्द्रकान्त, पी.डब्ल्यू. 02 श्री रामसिंह पिता श्री डालुसिंह, पी.डब्ल्यू. 03 श्री हिमसिंह पिता हरिसिंह राजपूत के बयान कलम बद्व किये गये एवं वादी की साक्ष्य बन्द की गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य में कोई गवाह पेश नही करना चाहने से प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया गया।

तनकी नम्बर 01– आया वादग्रस्त आराजी नम्बर 5714 रकबा 3.5600 है0 भूमि के वादीगण खातेदार होकर पूर्व कब्जे व सीमा चिन्ह के भीतर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा इस तनकी के पक्ष मौखिक साक्ष्य में गवाहों के बयान कलम बद्व करवायें। वादीगण के कथन में प्रतिवादी ने जवाब में कथन किया है कि आराजी नम्बर 5714 रकबा 3.5600 का राजस्व नक्शें में अंकन किया हुआ है। इसका अलग से नक्शे में तरमीम किया हुआ नही है। जिस पर वादी काबिज है। वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहों द्वारा भी अपने बयानों में बताया है कि आराजी नम्बर 5714 के पूर्व विक्रेता जहां काबिज थे, उसी जगह पर वादी काबिज है। उक्त तथ्यों के आधार पर यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 02– आया वादग्रस्त भूमि वर्तमान नक्शाशीट में पैमुद नही है, जबकि वादीगण का उक्त भूमि में जहां कब्जा चला आ रहा है, उसे नक्शाशीट में तरमीम कराने के अधिकारी है। इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। पत्रावली पर उपलब्ध जवाब दावें, बयान गवाहान एवं तनकी नम्बर 01 के निर्णयानुसार यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 03– वादीगण द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद दायर किया है, परन्तु वादी पूर्व से ही खातेदार है, जिससे प्रकरण में और किसी प्रकार की रिलीफ की आवश्यकता नही है। अलबत्ता प्रकरण तरमीम का अवश्य है। धारा धारा 188 के तहत किसी पक्षकार, पडौसी अथवा भूमिधारी द्वारा अवैध बेदखली का किसी प्रकार का प्रयास नही किया है। अतः धारा 188 के तहत किसी प्रकार की दाद की आवश्यकता नही है। प्रकरण में प्रस्तुत वादपत्र तथा उसकी ताईद में वादी द्वारा प्रस्तुत

उप खण्ड अधिकारी
जिला उदयपुर

साक्ष्य, बयान एवं भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब, पर्चा मौका आदि से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण राजस्थान लेण्ड रिकार्ड रूल्स की धारा 59, 60 एवं धारा 354 के तहत नक्शा दुरूस्तगी का लगता है, जिसके लिए विहित प्रकिया के अनुसार कार्यवाही हेतु तहसीलदार अधिकृत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मौजा ढिकोडा की आराजी नम्बर 5714 के सम्बन्ध में आदेश दिये जाते है कि अन्य किसी प्रकार की तकनीकी एवं विधिक अडचन न हो तो प्रकरण में लेण्ड रेकार्ड रूल्स की धारा 59, 60 एवं 354 के नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वादी को दाद मुहैया कराई जावें। एतदनुसार डिकी पर्चा जारी किया जाकर पालनार्थ तहसीलदार गोगुन्दा को निर्णय की प्रति भेजी जाकर लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर